

अनुदान संख्या 62 – पेयजल और स्वच्छता विभाग
GRANT No. 62 - DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving— (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	29268,46,00		
पूरक	Supplementary	3249,64,00	26967,38,79	-5550,71,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5548,67,12

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹555071.21 लाख) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹324964.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (₹555071.21 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹324964.00 lakhs obtained in February, 2021 and constituted 17 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “2215”	Major Head “2215”			
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	181600.00		
पू.	S.	9243.00		
पु.	R.	-66285.72	124557.28	122973.20
				-1584.08
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	214940.00		
पु.	R.	-214940.00

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

अधिक व्यय+
Excess+
बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2487112.00			
पू.	S.	295743.00			
पु.	R.	-241341.30	2541513.70	2557894.66	+16380.96

मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	40794.00			
पू.	S.	19978.00			
पु.	R.	-32315.71	28456.29	13456.58	-14999.71

(I) ₹214940.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा—

(का) "जल पूर्ति - ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम - जल जीवन मिशन (पूर्व एनआरडीडब्ल्यूपी)" - ₹115000.00 लाख; और

(खा) "मलजल और स्वच्छता - स्वच्छता सेवाएं - स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" - ₹99940.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹214940.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - Jal Jeevan Mission (erstwhile NRDWP)" - ₹115000.00 lakhs; and

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - ₹99940.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2215” – “जल आपूर्ति – आरक्षित निधि को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण” – ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹9243.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9743.00 लाख कर दिया गया, जो तथापि, ₹1387.15 लाख की सीमा तक कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – आरक्षित निधि को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण” – ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹19978.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹20478.00 लाख कर दिया गया, जो तथापि, ₹14999.71 लाख की सीमा तक संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2515” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “जल आपूर्ति – ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम – जल जीवन मिशन (पूर्व एनआरडीडब्ल्यूपी)” – ₹37016.14 लाख की बचत (₹45200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों/बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति न लगाने, पहले दो तिमाही में व्यय पर प्रतिबंध होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) “मलजल और स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएं – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” – ₹29466.51 लाख की बचत (₹135900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहले दो तिमाही में व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2215” - “Water Supply - Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund” - the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹9743.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9243.00 lakhs, which however, remained unutilized to the extent of ₹1387.15 lakhs - due to non-receipt of proposals from the implementing agencies.

(III) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund” - the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹20478.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹19978.00 lakhs, which however, remained unutilized to the extent of ₹14999.71 lakhs - due to non-receipt of proposals from the Union Territory Governments.

(IV) Under Major Head “2515” - savings occurred the following heads:-

(A) “Water Supply - Rural Water Supply Programme - Jal Jeevan Mission (erstwhile NRDWP)” - saving of ₹37016.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the implementing agencies/Union Territories without legislature, restriction of expenditure in the first two quarter, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(B) “Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)” - saving of ₹29466.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹135900.00 lakhs) was due to restriction of expenditure in the first two quarter, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(V) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” – ₹184495.23 लाख की बचत (₹436260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” – ₹134331.72 लाख की बचत (₹219870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” – ₹51668.31 लाख की बचत (₹99940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, पहले दो तिमाही में व्यय पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” के बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” –

(क) “स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” – ₹5000.00 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) “जल जीवन मिशन (पूर्व एनआरडीडब्ल्यूपी)” – ₹18574.69 लाख की बचत (₹22299.92 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना— जल जीवन मिशन (पूर्व एनआरडीडब्ल्यूपी)” –

(V) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)” - saving of ₹184495.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹436260.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)” - saving of ₹134331.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹219870.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)” - saving of ₹51668.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹99940.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of proposals from States, restriction of expenditure in the first two quarter and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share” -

(a) “Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)” - saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the Union Territory Governments.

(b) “Jal Jeevan Mission (erstwhile NRDWP)” - saving of ₹18574.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22299.92 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Jal Jeevan Mission (erstwhile NRDWP)” -

₹6009.45 लाख की बचत (₹7214.68 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – जल जीवन मिशन (पूर्व एनआरडीडब्ल्यूपी)” – ₹2731.57 लाख की बचत (₹3279.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, पहले दो तिमाही में व्यय पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – जल जीवन मिशन (पूर्व एनआरडीडब्ल्यूपी)” – ₹123456.06 लाख का अधिक व्यय (₹599500.08 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अधिक निधि जारी किए जाने के कारण हुआ।

(II) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – जल जीवन मिशन (पूर्व एनआरडीडब्ल्यूपी)” – ₹3898.93 लाख का अधिक व्यय (₹245785.32 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(III) “जन-जातीय क्षेत्र उप-योजना – जल जीवन मिशन (पूर्व एनआरडीडब्ल्यूपी)” – ₹1798.97 लाख का अधिक व्यय (₹111720.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) “आरक्षित निधि को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण” – ₹16380.96 लाख का अधिक व्यय (₹295743.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1069779.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

saving of ₹6009.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7214.68 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Jal Jeevan Mission (erstwhile NRDWP)” - saving of ₹2731.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3279.40 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of proposals from the Union Territory Governments, restriction of expenditure in the first two quarter and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were offset by excess under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - under the following heads:-

(I) “Central Assistance/Share - Jal Jeevan Mission (erstwhile NRDWP)” - excess of ₹123456.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹599500.08 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and release of more fund to States for implementation of the programme.

(II) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Jal Jeevan Mission (erstwhile NRDWP)” - excess of ₹3898.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹245785.32 lakhs);

(III) “Tribal Area Sub-Plan - Jal Jeevan Mission (erstwhile NRDWP)” - excess of ₹1798.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111720.60 lakhs); and

(IV) “Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund” - excess of ₹16380.96 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1069779.00 lakhs including supplementary grant of ₹295743.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अधिक निधि जारी किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to release of more funds to State Governments for implementation of the programme.
